बोली-पूर्व बैठक कार्यवृत्त

उपर्युक्त कार्य के लिए 14 नवंबर 2025 को एक खुली निविदा जारी की गई थी। निविदा की अनुसूची के अनुसार, बोली पूर्व बैठक 08 दिसंबर 2025 को सुबह 11.30 बजे परिसर विभाग, 5वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, फोर्ट, मुंबई में आयोजित की गई थी।

(क) बैठक में उपस्थित बैंक के अधिकारियों की सूची:

1.	श्री हसनूर रहमान, समप्र
2.	श्री आशीष चौरसिया, सहायक प्रबन्धक (तकनीकी-विद्युत)
3.	श्री नागार्जुन रतनाला, सहायक प्रबन्धक (तकनीकी-विद्युत)
4.	श्री रवीन्द्र कुमार, सहायक प्रबन्धक
5.	श्री आदित्य देशपांडे, कनिष्ठ अभियंता (विद्युत)

(ख) बैठक में उपस्थित बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों की सूची:

	प्रतिनिधि का नाम	**ठेकेदार/ फर्म का नाम**
1.	श्री वेंकट अय्यंगर	मेसर्स गोदरेज एंड बॉयसी मेन्युफेक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
2.	श्री सिद्धेश बोल्बे	
3.	श्री जितेंद्र गंगवार	
4.	श्री शेखर कुमार	मेसर्स एकार्टेस टेक्नॉलॉजी प्रा. लि.
5.	श्री अनिल कुमार	मेसर्स मेगटेक सिक्योरिटी सिस्टम्स प्रा. लि.

2. सभी प्रतिभागियों को ई-निविदा का संक्षिप्त विवरण और कार्य का दायरा समझाया गया। बैठक के दौरान चर्चा किए गए प्रश्न और बैंक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण और टिप्पणियां नीचे सारणी में दी गई हैं :

क्र. सं.	**प्रश्न/ सुझाव**	**स्पष्टीकरण / टिप्पणियां**
1	बयाना जमा राशि (ईएमडी) जमा करने संबंधी प्रश्न	यह स्पष्ट किया गया कि बोलीदाता ईएमडी जमा करने के संबंध में निविदा दस्तावेज़ की धारा – III के खंड 3.11.1 का संदर्भ ग्रहण करें।
2	सीआरबीबी के संबंध में वासात्विक वाहन के साथ भौतिक परीक्षण (नकली घटना नहीं) के वीडियो और टक्कर परीक्षण के प्रमाणपत्र के संबंध में प्रश्न।	यह स्पष्ट किया गया कि बोलीदाता वास्तविक वाहन के साथ भौतिक परीक्षण का वीडियो ई-प्रापण पोर्टल पर अपलोड कर सकता है (नकली घटना नहीं) / ई-मेल के ज़रिए भेज सकता है / फिजिकल मेमोरी डिवाइस जमा कर सकता है। इसके अलावा, टक्कर परीक्षण का प्रमाणपत्र निविदा दस्तावेज़ के साथ अपलोड किया जाएगा।
3	यूवीएसएस के प्रकार अर्थात वहनीय / गतिमान प्रकार और बिना गड्ढा किए इसकी संस्थापना के संबंध में प्रश्न।	यह स्पष्ट किया गया कि वहनीय / गतिमान प्रकार यूवीएसएस बैंक को स्वीकृत नहीं है, बोलीदाता निविदा दस्तावेज़ के तकनीकी विनिर्देशों का सख्ती से पालन करें।

4	यूवीएसएस के वीडियो फीचरके संबंध में प्रश्न - क्या यूवीएसएस संदिग्ध वस्तुओं के वीडियो बनाएगा या नहीं।	यह स्पष्ट किया गया कि यूवीएसएस निविदा के तकनीकी विनिर्देशों का पालन करेगा, यानी यूवीएसएस ऐसी संदिग्ध वस्तुओं का वीडियो बनाएगा जिन्हें सिंगल व्यू स्कैनिंग सिस्टम से देखना मुश्किल होता है, जिसमें कैविटी और खाली जगहों, सस्पेंशन के आस-पास के क्षेत्र, इंजन के नीचे के क्षेत्र, फ्यूल टैंक की बगल की दीवारों और एग्जॉस्ट पाइप वगैरह तक दृश्य की पहुँच शामिल है।

1. इच्छुक सहभागियों को सूचित किया गया कि वाणिज्यिक निबंधनों और शर्तों में कोई विचलन बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा और निविदा के अनुसार अन्य सभी तकनीकी विनिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
2. यह दस्तावेज़ निविदा का भाग होगा। इसलिए निविदाकर्ताओं द्वारा निविदा के साथ हस्ताक्षरित और प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

****